न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—2/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00002)

01. सुखदेवा पुत्र श्योचन्द जाति जाट, आयु 94 वर्ष निवासी मनोहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

01. तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
02. पवन कुमार पुत्र स्व. चेतराम,
03. रजनीश पुत्र स्व. चेतराम,
04. चमेली पत्नी स्व. चेतराम,
05. श्यामसुख पुत्र जगराम,
06. रामसिंह पुत्र जगराम,
07. सूरजभान पुत्र गणपतराम,
08. शेरसिंह पुत्र गणपतराम,
09. विजय सिंह पुत्र रिशाल सिंह,
10 उमरावती पत्नी रिशाल सिह, समस्त जाति जाट समस्त निवासीयान ग्राम मनोहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री बंशीधर जाट, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 05.01.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय स्वयं इस महत्वपूर्ण तथ्य को अपने निर्णय जैर अपील में स्वीकारती है कि जमाबन्दी सम्वत् 1998 ग्राम मनोहरपुरा के साबिक खसरा नम्बर 2, 30, 32, 66/4 श्योचन्द वल्द गूगन के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक भी हाल खसरा नम्बर 20, 36/1, 38, 86, 88/6, 92, 96, 97, 98, 101, 142 साबिक खसरा 2, 30, 32 व 66/4 से बने होना अपने निर्णय जैर अपील मे स्वीकार है किन्तु इसके पश्चात् प्रश्न पर ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को अनायास ही खारिज करने में गंभीर कानूनी भूल की है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अपना निर्णय जैर अपील पारित करते समय व निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को व उनके अभिभाषक को सुनवाई का कतई कोई अवसर प्रदान नही किया एवं अपीलार्थी की गैर हाजरी में निर्णय जैर अपील पारित किया है जो निरस्तनीय है। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखे जाने का दोनों पक्षो में से किसी भी पक्ष ने परीक्षण न्यायालय को लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन नही किया तथा ना ही परीक्षण न्यायालय की आदेशिकाओं पर पक्षकारान व उसके अभिभाषक के हसताक्षर ही है तथा ना ही अपीलार्थी के वकील दिनांक 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प धूतावा में उपस्थित ही थे, ना ही अपीलार्थी के वकील ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष कैम्प में उपस्थित होकर बहस ही की तथा ना ही परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय जैर अपील में ही अपीलार्थी की बहस ही लिखी उनके समक्ष क्या बहस की गई, निर्णय जैर अपील में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय के पेज संख्या 1 व दो में मात्र प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की हुबहु नकल ही की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त समस्थ तथ्यों को के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2017 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त के साबिक एवं हाल खसरा नम्बर को सुपर इम्पोज करने से स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नम्बर 2, 30, 32, 66/4 पुरानी नक्शा शीट के मुताबिक ही बना है, उक्त खसरा नम्बरान की सीमायें सही डाली गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का पूर्ण रूप से न्यायिक रूप से परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि साबिक खसरा नम्बर 2, 30, 32 व 66/4

पुरानी नक्शा शीट के मुताबिक ही बना होने व उक्त खसरा नम्बरान की सीमायें सही डाली गई होने व साबिक खसरा नमबरों के क्षेत्रफल व हाल खसरा नम्बरों के क्षेत्रफल का रकबा बराबर होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हैतथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06. 2017 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।